भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4121

मंगलवार, 25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

नए औद्योगिक गलियारे

4121. श्रीमती प्रतिमा मण्डलः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय की भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के अनुरूप औद्योगिक नीतियों को किस प्रकार से तैयार करने की योजना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विनिर्माण क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे;

(ख) सरकार किस तरह औद्योगिक डी-कार्बोनाइजेशन को प्रोत्साहित कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि बड़ी विनिर्माण इकाइयां कार्बन उत्सर्जन में कमी लाएं; और

(ग) भारी उद्योगों के लिए सुदृढ़ अवसंरचना सुनिश्चित करने हेतु नए औद्योगिक गलियारों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के विकास हेतु कार्यान्वित की जा रही नीतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): सरकार द्वारा कार्यान्वित औद्योगिक नीति में वर्तमान में जारी सुधार और पहलें शामिल हैं। इनका उद्देश्य अवसंरचना विकास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नवप्रयोग को बढ़ावा देने और उद्यमिता व निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करने पर फोकस करते हुए विनिर्माण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है, जो भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के अनुरूप है। इन प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विनिर्माण क्षेत्र आर्थिक वृद्धि और विकास के प्रमुख संवाहक के रूप में कार्य करे। 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवप्रयोग हब बनाने के लिए की गई है। वर्तमान में, मेक इन इंडिया पहल 27 क्षेत्रों पर फोकस करती है, जिसमें 15 विनिर्माण क्षेत्र शामिल हैं, जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों में कार्यान्वित हैं। इसके अतिरिक्त, भारत के आत्मनिर्भर बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए और देश की विनिर्माण क्षमता तथा निर्यात

को बढ़ावा देने के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय से 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम की शुरुआत की गई है। इसमें मोबाइल और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, ड्रग इंटरमीडियरीज और सक्रिय फार्मास्यूटिक्ल्स घटक, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल्स और ऑटो घटक, फार्मास्यूटिक्ल्स ड्रग्स, विशेष इस्पात, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकीय उत्पाद, व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी), खाद्य उत्पाद, वस्त्र उत्पाद, उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल्स, एंडवास केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी और ड्रोन व ड्रोन घटक शामिल हैं। इन स्कीमों में उत्पादन को व्यापक रूप से बढ़ाने, विनिर्माण आउटपुट में बढ़ोत्तरी करने और भविष्य में तेजी से आर्थिक वृद्धि में योगदान देने की क्षमता है।

अन्य कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से स्टार्ट-अप इंडिया, राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली, जीआईएस आधारित भूमि बैंक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीतिगत सुधार, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी), मल्टी-मोडल अवसंरचना आयोजना के लिए पीएम गतिशक्ति मास्टरप्लान, प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना में आने वाली कमियों को दूर करने के लिए परियोजना मॉनीटरिंग ग्रुप, औद्योगिक पार्कों की स्थापना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए कार्य करना, अनुपालन बोझ में कमी लाने के सुधार करना, वस्तु और सेवा कर की शुरुआत करना, कॉरपोरेट कर की दर में कमी करना, सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेशों, योजनाबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के जरिए घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत उपाय करना शामिल हैं।

सरकार, हितधारकों के परामर्श से समय-समय पर जारी पहलों और नीतियों की समीक्षा करती है, ताकि इससे बदलती आर्थिक परिस्थितियों में प्रभावशीलता और एकरूपता सुनिश्चित की जा सके, विनिर्माण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिया जा सके और भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

(ख): भारत ने नवंबर, 2021 में जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी (सीओपी26)) के 26वें सत्र में, वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की। इसके अनुसरण में, भारत ने नवंबर 2022 में यूएनएफसीसीसी को अपनी दीर्घकालिक लो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन विकास रणनीतियां (एलटी-एलईडीएस) प्रस्तुत की, जो वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए सात प्रमुख रणनीतिक ट्रांजिशन को शामिल करते हुए एक फ्रेमवर्क का प्रावधान करती है। इन सात ट्रांजिशन में से एक यह है कि,

समूची अर्थव्यवस्था में विकास की प्रक्रिया को उत्सर्जन से अलग कर एक कुशल, अभिनव न्यून उत्सर्जन औद्योगिक प्रणाली के विकास को बढ़ावा देते हुए औद्योगिक डीकार्बनाइजेशन पर फोकस किया जाए।

औद्योगिक क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक न्यून कार्बन आधारित विकास रणनीति के प्रमुख तत्वों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) ऊर्जा दक्षता में सुधार; (ii) वैकल्पिक प्रक्रियाओं और ईंधनों को अपनाना, तथा विनिर्माण प्रक्रिया का विद्युतीकरण करना ; (iii) सामग्रियों की दक्षता और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देना; (iv) ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्यागिकी और अवसंरचना को प्रोत्साहित करना; (v) न्यून कार्बन उत्सर्जन वाले क्षेत्रों में न्यून कार्बन संबंधी विकल्प तलाशना और (vi) एमएसएमई का न्यून कार्बन आधारित और सतत् विकास करना।

सरकार लक्षित नीतियों और पहलों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक डीकार्बनाइजेशन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है ताकि इससे व्यापक पैमाने की विनिर्माण इकाइयों में कार्बन उत्सर्जन को कम करना सुनिश्चित किया जा सके। वर्तमान में औद्योगिक डीकार्बनाइजेशन के प्रोत्साहन के लिए नीतियां और स्कीमें पहले से ही लागू है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं: ऊर्जा दक्षता और सतत पर्यावास हेतु राष्ट्रीय मिशन, मानक और लेबलिंग स्कीम, और ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण प्लेटफॉर्म; प्राकृतिक गैस के प्रोत्साहन के जरिए वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना और जैव ईंधन के संबंध में राष्ट्रीय नीति; संसाधन दक्षता, प्लास्टिक और ई-अपशिष्ट तथा इस्पात रीसाइक्लिंग के संबंध में नीतियों के जरिए सामग्री दक्षता; ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और अवसंरचना को बढ़ावा देना; अनुसंधान और विकास के जरिए इस्पात और सीमेंट जैसे कठिन क्षेत्रों का डीकार्बनाइजेशन करना है, राष्ट्रीय सोलर मिशन और राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन।

इसके अलावा, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न पहलों के माध्यम से भी औद्योगिक डीकार्बनाइजेशन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इनमें हरित औद्योगिक कॉरिडोर विकास नीति, योजनाबद्ध कॉरिडोरों में औद्योगिक इकाइयों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देना, औद्योगिक इकाइयों और सामान्य पार्किंग क्षेत्रों में चार्जिंग अवसंरचना को अनिवार्य करके इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा देना, जल संरक्षण और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना, एमॉर्फस कोर ट्रांसफार्मर और स्मार्ट एलईडी लाइटिंग को संस्थापित करते हुए ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा, अवसंरचना परियोजनाओं में पर्यावरणीय मॉनीटरिंग प्रणालियों और आईसीटी-संचालित स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस सहित दीर्घकालिकता संबंधी अधिदेश सतत विकास संबंधित मानकों का

पालन सुनिश्चित करते हैं और व्यापक स्तरीय विनिर्माण के कार्बन फुटप्रिंट को कम करते हैं।

(ग): राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) केंद्रीय क्षेत्र की एक स्कीम है जिसका उद्देश्य वैश्विक मानकों के अनुरूप ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटी/क्लस्टर तैयार करना है। औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम के तहत, स्मार्ट सिटी/नोड्स को सतत स्वरूप की अवसंरचना और प्लॉट स्तर पर 'प्लग एंड प्ले' अवसंरचना प्रदान करते हुए तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

i. ग्रीनफील्ड स्मार्ट औद्योगिक सिटीज का विकास करना।
ii. प्लग एंड प्ले और वॉक टु वर्क- कमिशनिंग के पहले निर्माणावधि को कम करना।
iii. मल्टी मोडल कनेक्टिविटी अवसंरचना का लाभ उठाना, जिसका पिछले दशक में विकास किया गया है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग, समर्पित फ्रेड कॉरिडोर, पत्तन और एयरपोर्ट।
iv. इन शहरों के लिए इष्टतम स्थलों का निर्धारण करने हेतु पीएम-गतिशक्ति का उपयोग करना, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत न्यूनतम हो।
v. समग्र और बहु-क्षेत्रगत विनिर्माण हब।

एनआईसीडीपी का उद्देश्य, 'आत्मनिर्भर भारत' के अनुरूप औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, अवसंरचना विकास को गति प्रदान करना, निवेश आकर्षित करना, रोजगार को बढ़ावा देना, दीर्घकालिकता और प्रौद्योगिकीय नवप्रयोग को प्रोत्साहित करना, शहरीकरण और स्मार्ट गवर्नेंस को सक्षम बनाना, क्षेत्रीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। अब तक, भारत सरकार ने एनआईसीडीपी के तहत 20 परियोजनाओं के विकास को अनुमोदन प्रदान किया है।

एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियम, 2006 के तहत स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), मुख्य रूप से निजी निवेश-संचालित पहल हैं, जिन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों या किसी भी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग स्थापित किया जा सकता है। एसईजेड स्थापित करने के प्रस्तावों को संबंधित राज्य सरकार की सिफारिशों पर अनुमोदन बोर्ड (बीओए) द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तथापि, एसईजेड स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई निधि/सब्सिडी स्वीकृत नहीं की जाती है।

*****